भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3534

दिनांक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल संकट के लिए वित्तीय सहायता

3534. श्री मोतीलाल वोराः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश के किन–किन राज्यों में पेयजल संकट है और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने पिछले दो वर्षों में किन राज्यों को पेयजल संकट से निपटने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है और कितनी–कितनी और कब;

(ग) क्या संबंधित राज्यों के पास पेयजल संकट निराकरण के लिए आवश्यक योजना है;

(घ) क्या सरकार ने विशेषज्ञों के द्वारा उन योजनाओं का परीक्षण भी कराया था;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(च) वर्ष 2018 के अन्त तक देश के कितने इलाकों में पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) वर्ष 2016-17 में आन्ध्र पदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में पेयजल की कमी का सामना किया जा रहा है। इन राज्यों के अलावा, आने वाले महिनों में जल की कमी की संभावना को देखते हुए पंजाब, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जल संरक्षण प्रयासों की निगरानी की आवश्यकता है।

(ख) से (ड.) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। भारती मौसम विज्ञान विभाग के अनुमानों का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय, मानक चालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पेयजल की कमी की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाता है। राज्यों को एसओपी के अनुरूप आपातकालीन योजना बनाने और जल की कमी को दूर करने हेतु उसे उपयोग में लाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, जल की कमी को

देखते हुए राज्यों द्वारा दिए जा रहे न्यूनीकरण उपायों के संबंध में प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्श देता है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसी क्षेत्र में जल की कमी की समस्या को कम करने के लिए कार्य शुरू करने हेतु राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत उन्हें जारी की गई कुल निधियों का 25% तक का अंश फ्लैक्सी फंड के रूप में उपयोग कर सकता है। इसके अतिरक्त, राज्यों को कहा गया है कि वे एक एकीकृत राज्य कार्रवाई योजना तैयार करें और प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की स्थिेति में सुधार लाने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), रिपेयर, रेस्टोरेशन तथा रेनोवेशन (आरआरआर) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्यूएमपी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) जैसे महत्पूर्ण कार्यक्रमों से संसाधन प्राप्त करके यथासंभव अधिक से अधिक जल का संरक्षण करें।

इसके अतिरिक्त, पेयजल की समस्या को देखते हुए गृह मंत्रालय में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन से राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी के 2% आपदा घटकों से निधियां जारी की जाती है। विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल से अक्रांत राज्यों में जारी निधियों का विवरण इस प्रकार हैः-

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16
1	हरियाणा	5.05	-
2	कर्नाटक	9.00	-
3	उत्तर प्रदेश	44.00	-
कुल		58.05	0.00

चूंकि पेयजल की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी, दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाते हैं अतः राज्य विशिष्ट योजनाओं को मंत्रालय में जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है अथवा मंत्रालय से किसी भी प्रकार की संस्तुति की आवश्यकता नहीं है।

(च) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों के कवरेज के लिए वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक कार्य योजना बैठकों के दौरान वित्त वर्ष के प्रारम्भ में किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 6,000 करोड़ रुपए (आरई) के वार्षिक बजट की तुलना में कुल 56835 बसावटें लक्षित की गई हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निधियों का आबंटन 6050 करोड़ रुपए (बीई) है। कार्यक्रम के अंतर्गत बजटीय आबंटन के अनुरूप पिछले वर्ष के दौरान किए गए कवरेज की परंपरा पर विचार करते हुए यह अपेक्षा की गई है कि वर्ष 2018 के अंत तक 17.14 लाख ग्रामीण बसावटों में से लगभग 13.68 लाख ग्रामीण बसावटों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर की दर पर सुरक्षित पयेजल उपलब्ध कराया जाएगा।